ए.

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 694-695)

बी.

26 अप्रैल, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.482-अपीलार्थी यू/एस के खिलाफ समन आदेश पारित किया गया।138 एन. आई. अधिनियम-याचिका यू/एस।438 समन आदेश को रद्द करने के लिए-उच्च न्यायालय ने राय दी कि अपीलार्थी द्वारा उत्तेजित आधार "तथ्यात्मक बचाव" हैं जिन पर याचिका में अनुमत सीमित जांच के मापदंडों के भीतर विचार नहीं किया जाना चाहिए।482 – अपीलार्थी के अनुसार, शिकायतकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा निकाले गए संबंधित पोस्ट-डेटेड चेक शिकायतकर्ता द्वारा धारित अपीलार्थी की कंपनी के शेयरों के पुनर्खरीद के लिए आकस्मिक/सुरक्षा चेक थे, और इसलिए चेक समय से पहले बैंक को प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे और अपीलार्थी की कंपनी में शिकायतकर्ता की हिस्सेदारी के हस्तांतरण के बाद ही नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे-दूसरे शब्दों में, क्योंकि शिकायतकर्ता के पास अभी भी अपीलार्थी की कंपनी के शेयर थे जब चेक प्रस्तुत किए गए थे, शिकायतकर्ता उस स्तर पर चेक के नकदीकरण के माध्यम से कोई भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है, जो उसे उपलब्ध कराया गया था-आयोजितःयह साबित करने का भार कि कोई मौजूदा ऋण या देयता नहीं है, मुकदमे में निर्वहन किया जाना है-शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच लेन-देन की व्यवस्था से उन दायित्वों की प्रकृति का पता चलता है जो दोनों ने किए थे-विचाराधीन चेक को शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी की कंपनी में शेयरों के लिए एक सहमत मूल्य विचार के लिए स्वीकार किया गया था-शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलार्थी को पहले भुगतान करना है और फिर व्यापार में सामान्य प्रथा के अनुसार, शेयरों को कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर नियत समय में अपीलार्थी को हस्तांतरित किया जाएगा।56(1) कंपनी अधिनियम, 2013 इंगित करता है कि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल तभी हो सकता है जब हस्तांतरण का एक उचित साधन प्रभावी हो-शेयरों के लेनदेन में, खरीदार से बाहर जाने वाले धन और विक्रेता तक पहुंचने वाले शेयरों के बीच एक समय अंतराल होता है-ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

989

990 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चला है कि एक संभावित दृष्टिकोण यह लिया गया है कि निकाले गए चेक, शेयरों की खरीद के लिए ऋण के निर्वहन में थे-किसी भी मामले में, जब कानूनी अनुमान होता है, तो यह रद्द करने वाले न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा कि वह अभियुक्त तथ्यों पर विस्तृत जांच करे, पहले निचली अदालत को पक्षों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अनुमति दिए बिना-रद्द करने की कार्यवाही तथ्यात्मक विवाद के गुण-दोष में एक अभियान नहीं बननी चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता या बचाव पक्ष में से किसी को भी निर्णायक रूप से सही ठहराया जा सके।

बी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.482-प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को रद्द करना-स्वामित्व-आयोजितः विचारण न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ुअपीलार्थी कअपीलार्थी दअपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी हअपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी शअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी दअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी हअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ेअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ेअपीलार्थी रअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी हअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी बअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी थअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी मअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी दअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी शअपीलार्थी ेअपीलार्थी षअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ूअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी

कअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ूअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ुअपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी भअपीलार्थी ाअपीलार्थी वअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी रअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ैअपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी -अपीलार्थी बअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी ईअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी बअपीलार्थी ूअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ेअपीलार्थी शअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी थअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी मअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी वअपीलार्थी अपीलार्थी एअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी रअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी दअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी ुअपीलार्थी णअपीलार्थी वअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ोअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी हअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी शअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी गअपीलार्थी ाअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी रअपीलार्थी ोअपीलार्थी पअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ूअपीलार्थी रअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी रअपीलार्थी हअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी लअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी बअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी -अपीलार्थी मअपीलार्थी ुअपीलार्थी कअपीलार्थी दअपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी हअपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ाअपीलार्थी

धअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी णअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी ंअपीलार्थी भअपीलार्थी ीअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी पअपीलार्थी ूअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी ीअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी तअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी ंअपीलार्थी -अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ंअपीलार्थी भअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी हअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी दअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी णअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी षअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी बअपीलार्थी ूअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ेअपीलार्थी शअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी वअपीलार्थी सअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी ंअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी मअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ूअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ोअपीलार्थी गअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी णअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी अपीलार्थी यअपीलार्थी हअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ोअपीलार्थी गअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी चअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ंअपीलार्थी चअपीलार्थी अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी चअपीलार्थी लअपीलार्थी ीअपीलार्थी विचारण न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी भअपीलार्थी ौअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी षअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी जअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी टअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी -अपीलार्थी यअपीलार्थी दअपीलार्थी

िअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ुअपीलार्थी मअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी ।अपीलार्थी

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

991

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (सरकार)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर.

ए.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच लेन-देन की व्यवस्था से उन दायित्वों की प्रकृति का पता चलता है जो दोनों ने किए थे।शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी की कंपनी में शेयरों के लिए सहमत मूल्य विचार के लिए विचाराधीन चेक स्वीकार किए गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलार्थी को पहले भुगतान करना होता है और फिर व्यापार में सामान्य प्रथा के अनुसार, शेयर कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर नियत समय में अपीलार्थी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **56 (1)** के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलता है कि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल तभी हो सकता है जब हस्तांतरण का एक उचित साधन प्रभावी हो।कानूनी रूप से शेयरों के हस्तांतरण के संचालन में कई अलग-अलग कदम शामिल हैं।सबसे पहले, बिक्री का अनुबंध करने की आवश्यकता होती है।इस अनुबंध में लेन-देन की प्रकृति तार्किक रूप से तब संभावित हस्तांतरणकर्ता द्वारा पहले अपने वादे को पूरा करने के लिए कीमत का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।बदले में, हस्तांतरणकर्ता फॉर्म एसएच**-4** भरने के लिए आगे बढ़ेगा और इस प्रकार, एक वैध साधन को प्रभावी बनाएगा।कंपनी और उसके संघ के अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर, फिर कंपनी के बोर्ड को हस्तांतरण के साधन की प्रस्तुति और बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति पर, हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर कंपनी के रजिस्टर में हस्तांतरणकर्ता की प्रविष्टि होती है।इस प्रकार, शेयर का हस्तांतरण पूरा हो जाता है।इसे दूसरे तरीके से कहने के लिए, शेयरों के लेन-देन में, खरीदार से निकलने वाले पैसे और विक्रेता तक पहुंचने वाले शेयरों के बीच एक समय अंतराल होता है।पहले के दिनों में समय का अंतराल अधिक था।यह अब तेज

हो गया है लेकिन अंतर अभी भी बना हुआ है।भारत में शेयर लेनदेन आम तौर पर इस पैटर्न का पालन करते हैं।**[**पैरा **9] [996-**ई**-**एच**; 997-**ए**-**बी**]2.** यह साबित करने का भार कि कोई मौजूदा ऋण या देयता नहीं है**,** मुकदमे में निर्वहन किया जाना है।दायित्व के निर्वहन में चेक जारी किए जाने की कानूनी धारणा को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त मुकदमा शुरू होने से पहले ही रद्द करने के लिए न्यायालय का रुख करता है**,** न्यायालय का दृष्टिकोण इतना सावधान होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाले कानूनी अनुमान की अवहेलना करके मामले को समय से पहले समाप्त न किया जाए।किसी भी तरह से**,** जब भी तथ्यों पर विवाद होता है**,** तो सबूतों का वजन करके सच्चाई को सामने आने दिया जाना चाहिए।**[**पारस **10-12] [997-C, E-F; 998-B]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

992 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

ए.

M.M.T.C. Ltd. & Anr. v.मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा

(पी) लिमिटेड और अन्र। (2002) 1 एससीसी 234:[2001] 5 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 265;** रंगप्पा बनाम श्री मोहन **(2010) 11** एस**.** सी**.** सी**. 441: [2010] 6** एस**.** सी**.** आर**. 507;** राजेशभाई मुलजिभाई पटेल बनाम राज्य

गुजरात (2020) 3 एस. सी. सी. 794:[2020] 2 एससीआर 687-पर निर्भर।

बी.

3. शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को ध्यान से पढ़ने पर**,** जो बात स्पष्ट होती है**,** वह यह है कि एक संभावित दृष्टिकोण लिया जाता है कि निकाले गए चेक शेयरों की खरीद के लिए ऋण के निर्वहन में थे।किसी भी मामले में**,** जब कानूनी अनुमान होता है**,** तो निचली अदालत को पहले पक्षों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अनुमति दिए बिना**,** कथित तथ्यों पर विस्तृत जांच करना रद्द करने वाले न्यायालय के लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा।खारिज करने वाले न्यायालय को गेहूं को भूसे से अलग करने का बोझ खुद पर नहीं लेना चाहिए**,** जहां तथ्यों का

विरोध किया जाता है।न्यायालय को मुकदमे से पहले के चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में देरी करनी चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में है, विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण, जैसा कि इस मामले में है।बिना किसी साक्ष्य के तथ्यात्मक बचाव एक निर्विवाद गुणवत्ता का होना चाहिए, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके।**[**पारस **13** और **16] [998-**एफ**-**जी**; 999-**एच**; 1000-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

ई.

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल एयर **1992** एससी **604:**

[1990] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 259-**पर निर्भर।

4. पूर्व**-**परीक्षण चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं।प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त किए बिना अंतिमता होगी और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से हटा दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में बिना शर्त लाभ दिया जा सकता है।इसके अलावा कानूनी धारणा के कारण, जब चेक और हस्ताक्षर अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं होते हैं, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के साक्ष्य को प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलेगा, ताकि अनुमान का खंडन किया जा सके।ए के स्तर पर, शिकायतकर्ता पर मुकदमा न करने के लिए इस प्रकार स्थित

एफ.

जी.

एच.

993

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (सरकार)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर.

समन आदेश, जब तथ्यात्मक विवाद का अभी तक प्रचार नहीं किया गया है और निचली विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना उचित नहीं होगा।प्रथम दृष्टया प्रभाव के आधार पर, निचली न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज

नहीं किया जा सकता है।इसलिए**,** जब कार्यवाही एक प्रारंभिक चरण में होती है**,** तो आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है।**[**पैरा **17** और **18] [1000-**बी**-**ई**]**

बी.

एच**.** एम**.** टी**.** वॉचेस लिमिटेड बनाम एम**.** ए**.** आबिदा एंड अन्र **(2015) 11**

एससीसी 776:[2015] 3 एससीआर 719; राजीव थापर और अन्य बनाममदन लाल कपूर (2013) 3 एससीसी 330:[2013] 3 एस. सी. आर. 52-संदर्भित।

सी.

संदर्भित निर्णय

[2015] 3 एससीआर **719**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2013] 3 एससीआर **52**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

डी.

[2001] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 265** पैरा **10 [2010] 6** एस**.** सी**.** आर**. 507** पर निर्भर था।

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **11**

[2020] 2 एससीआर **687**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **12**

[1990] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 259** पैरा **14** पर निर्भर था।

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 694-695।

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 02.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2019 का एम. सी. No.414 और सी. आर. एल. 2019 का एम. ए. No.1754।

एफ.

कृष्णमोहन के., गौतम धमीजा, सुश्री दानिया नय्यर, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री रेबेका एम. जॉन, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, शैलेश मडियाल, अमित शर्मा, जोसेफ पुक्कट्ट, प्रशांत कुमार, शिखर सरीन, नीलेश शर्मा, धवेश पहुजा, मेसर्स ए. पी. एंड जे. चैम्बर्स, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

एच.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती सीआरएल में 02.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश को दी गई है। एम. सी. No.414/2019 और Crl.M.A.No.1754 2019 जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "<आई. डी. 2" के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'एन. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के तहत जारी किए गए दिनांकित समन आदेश और दिनांकित 3.11.2018 आदेश तैयार करने के नोटिस को रद्द करने के लिए कहा गया था।सतीश गुप्ता (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दर्ज आपराधिक शिकायत पर, मजिस्ट्रेट की न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ आई. डी. 1 की धारा 251 के तहत आदेश जारी किया गया था।उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार करने पर राय दी कि अपीलार्थी द्वारा उत्तेजित आधार "तथ्यात्मक बचाव" हैं जिन पर धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका में अनुमेय सीमित जांच के मापदंडों के भीतर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन अभियुक्त की सक्षम न्यायालय में अपना बचाव करने की स्वतंत्रता को विवादित आदेश में सुरक्षित रखा गया था।

बी.

सी.

डी.

3. अपीलार्थी के लिए, श्री कृष्णमोहन के., विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए आवश्यक अवयवों को इस प्रभाव से संतुष्ट किए बिना कि शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त असम्मानित चेक "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व" के खिलाफ है, आपराधिक प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती थी।कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व तत्काल मामले में गायब हैं और इसलिए अपीलार्थी पर उक्त प्रावधान के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अपीलार्थी के अनुसार, शिकायतकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा निकाले गए संबंधित पोस्ट-डेटेड चेक, शिकायतकर्ता द्वारा रखे गए एएटी अकादमी (अपीलार्थी की कंपनी) के शेयरों के पुनर्खरीद के लिए आकस्मिक/सुरक्षा चेक थे, और इसलिए चेक समय से पहले बैंक को प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे और अपीलार्थी की कंपनी में शिकायतकर्ता की हिस्सेदारी के हस्तांतरण के बाद ही नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे।दूसरे शब्दों में, जब चेक प्रस्तुत किए गए थे तब भी शिकायतकर्ता के पास अपीलार्थी की कंपनी के शेयर थे, इसलिए शिकायतकर्ता उस स्तर पर उसे उपलब्ध कराए गए चेकों को भुनाने के माध्यम से कोई भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

995

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (सरकार)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

4. प्रति-अनुबंध शिकायतकर्ता का तर्क है कि जब चेक जारी किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो चेक धारक के पक्ष में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की धारणा उत्पन्न होगी।इस तरह की स्थिति में, यह अभियुक्त का काम है कि वह निचली न्यायालय के समक्ष आवश्यक सबूत पेश करके कानूनी धारणा का खंडन करे।एन. आई. अधिनियम की धारा 118 के प्रावधानों को पढ़ते हुए, श्री के. एम. नटराज, विद्वान ए. एस. जी. और शिकायतकर्ता की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री रेबेका एम. जॉन द्वारा प्रस्तुत विद्वान जाता है कि न्यायालय के

लिए यह अनिवार्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ कानूनी धारणा को उठाए जब उसका चेक प्रस्तुत करने पर उसका अपमान विद्वान जाता है।अतः विद्वत मजिस्ट्रेट ने ऐसी धारणा को सही ढंग से तैयार विद्वान जो निश्चित रूप से अपीलार्थी द्वारा परीक्षण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके खंडन योग्य है।शिकायतकर्ता द्वारा विशेष रूप से यह तर्क दिया जाता है कि शेयर खरीद लेनदेन में, प्रथागत प्रथा के अनुसार पहले विक्रेता को प्रतिफल का भुगतान किया जाता है और उसके बाद ही शेयर हस्तांतरण के संबंध में औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।इस तरह के विवाद के समर्थन में, प्रत्यर्थी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 (1) और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से संबंधित उक्त अधिनियम के फॉर्म एसएच-4 पर भी निर्भर करता है।

बी.

सी.

डी.

5. अभिलेखों से पता चलता है कि पक्षकारों के बीच लेन-देन थे जिनके तहत शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी की कंपनी में पर्याप्त राशि का निवेश किया था।बाद में, उनके बीच विवाद पैदा हुआ लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि निवेशित धन शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को आवंटित शेयरों को आनुपातिक रूप से अपीलार्थी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।इस तरह की समझ के साथ, आपराधिक शिकायत का हिस्सा बनने वाले चार चेक अपीलार्थी द्वारा सौंपे गए थे।जब शिकायतकर्ता ने उन चेकों में से एक को प्रस्तुत किया, तो बैंक ने "अपर्याप्त निधि" के समर्थन के साथ उसका अपमान किया।इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी देय भुगतान करने में विफल रहा है।इसके बाद, उन्होंने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसके कारण अपीलार्थी के खिलाफ समन और प्रक्रिया शुरू हुई।

ई.

एफ.

6. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी का मूल तर्क यह है कि विचाराधीन चेक "कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण" के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था।उन्होंने संबंधित शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए शिकायतकर्ता के दायित्व पर भी विवाद उठाया।अपीलार्थी द्वारा बचाव याचिका इस आशय से दायर की जाती है कि विचाराधीन चेक "प्रतिभूति" के रूप में जारी किए गए थे न कि किसी "कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण" के निर्वहन में।

जी.

एच.

7. दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका पर विचार करते हुए एचएमटी घड़ियों में अनुपात का उल्लेख करके इस अधिकार क्षेत्र में सीमित जांच के दायरे को ध्यान में रखा।

सीमित बनाम। एम. ए. आबिदा और अन्र 1. और राजीव थापर और अन्य बनाममदन

लाल कपूर 2 और राय दी कि धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों का प्रयोग, शिकायतकर्ता को साक्ष्य देने की अनुमति दिए बिना शिकायतकर्ता के मामले को नकार देगा।इस तरह का निर्धारण आवश्यक रूप से उस न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो मुकदमा नहीं चला रहा है।इसलिए, जब तक न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है कि प्रस्तुत की गई सामग्री निर्विवाद रूप से आरोपों को खारिज कर देगी और ऐसी सामग्री उत्कृष्ट और त्रुटिहीन गुणवत्ता की होगी, तब तक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C की शक्ति का आह्वान अनिश्चित होगा।इस आधार पर कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी के खिलाफ फैसला दिया गया, जो एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही का सामना कर रहा था। अपीलार्थी को निचली विचारण न्यायालय में अपना बचाव करने की पूरी स्वतंत्रता दिए जाने के साथ, उसकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई।

बी.

सी.

8. यहां जिस मुद्दे का जवाब दिया जाना चाहिए वह यह है कि क्या समन और ट्रायल नोटिस को तथ्यात्मक बचाव के आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए था।इसका परिणाम यह है कि रद्द करने वाले न्यायालय की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और क्या उसे पूर्व-परीक्षण चरण में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का वजन करना चाहिए।

डी.

9. शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच लेन-देन की व्यवस्था से उन दायित्वों की प्रकृति का पता चलता है जो दोनों ने किए थे।शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी की कंपनी में शेयरों के लिए सहमत मूल्य विचार के लिए विचाराधीन चेक स्वीकार किए गए थे।शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलार्थी को पहले भुगतान करना होता है और फिर व्यापार में सामान्य प्रथा के अनुसार, शेयरों को कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर नियत समय में अपीलार्थी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 (1) के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलता है कि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल तभी हो सकता है जब हस्तांतरण का एक उचित साधन प्रभावी हो।कानूनी रूप से शेयरों के हस्तांतरण के संचालन में

कई अलग-अलग कदम शामिल हैं।सबसे पहले, बिक्री का अनुबंध करने की आवश्यकता होती है।इस अनुबंध में लेन-देन की प्रकृति तार्किक रूप से तब संभावित हस्तांतरणकर्ता द्वारा पहले अपने वादे को पूरा करने के लिए कीमत का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।बदले में, हस्तांतरणकर्ता फॉर्म एसएच-4 भरने के लिए आगे बढ़ेगा और इस प्रकार, एक वैध साधन को प्रभावी बनाएगा।कंपनी की प्रकृति के अनुसार

ई.

एफ.

जी.

1 (2015) 11 एससीसी 776 2 (2013) 3 एससीसी 330 ए

एच.

997

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (सरकार)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

और उसके संघ के लेख, फिर कंपनी के बोर्ड को हस्तांतरण के साधन की प्रस्तुति और बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति पर, हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर कंपनी के रजिस्टर में हस्तांतरणकर्ता की प्रविष्टि होती है।इस प्रकार, शेयर का हस्तांतरण पूरा हो जाता है।इसे दूसरे तरीके से कहने के लिए, शेयरों के लेन-देन में, खरीदार से निकलने वाले पैसे और विक्रेता तक पहुंचने वाले शेयरों के बीच एक समय अंतराल होता है।पहले के दिनों में समय का अंतराल अधिक था।यह अब तेज हो गया है लेकिन अंतर अभी भी बना हुआ है।भारत में शेयर लेनदेन आम तौर पर इस पैटर्न का पालन करते हैं।

बी.

10. यह भी ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि यह साबित करने का बोझ कि कोई मौजूदा ऋण या देयता नहीं है, मुकदमे में निर्वहन किया जाना है।दो न्यायाधीशों के लिए M.M.T.C. Ltd. और Anr. बनाम.मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड और एएनआर। 3, न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा ने इस पहलू पर निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणी कीः-

सी.

“17. इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि शिकायतकर्ता को शिकायत में विशेष रूप से आरोप लगाना चाहिए कि एक स्थायी दायित्व था।यह साबित करने का भार उत्तरदाताओं पर था कि कोई मौजूदा ऋण या देयता नहीं थी।इन्हें मुकदमे में इसका निर्वहन करना होगा।इस स्तर

पर, केवल उनके द्वारा दायर याचिकाओं में कथनों के आधार पर उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि कोई मौजूदा ऋण या देयता नहीं थी।"

डी.

ई.

11. दायित्व के निर्वहन में चेक जारी किए जाने की कानूनी धारणा को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त मुकदमा शुरू होने से पहले ही रद्द करने के लिए न्यायालय का रुख करता है, न्यायालय का दृष्टिकोण इतना सावधान होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाले कानूनी अनुमान की अवहेलना करके मामले को समय से पहले समाप्त न किया जाए।रंगप्पा बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन की राय। श्री मोहन 4 इस स्तर पर हमारे ध्यान के योग्य हैः-

एफ.

"26. ..... हम प्रत्यर्थी दावेदार के साथ सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है।जैसा कि उद्धरणों में उल्लेख किया गया है, यह निश्चित रूप से एक खंडन योग्य धारणा की प्रकृति में है और यह अभियुक्त के लिए खुला है

जी.

3 (2002) 1 एससीसी 234 4 (2010) 11 एससीसी 441

एच.

एक बचाव खड़ा करें जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है।हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक प्रारंभिक धारणा है जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है।"

12. किसी भी तरह से, जब भी तथ्यों पर विवाद होता है, तो सबूतों का वजन करके सच्चाई को सामने आने दिया जाना चाहिए।इस पहलू पर, हम राजेशभाई मुल्जिभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य 5 के अनुपात का उल्लेख करके लाभान्वित हो सकते हैं, जहां न्यायमूर्ति आर. भानुमति द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक राय दी गई थीः-

बी.

"22. .....जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं, जिन पर पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तो एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सी. आर. पी. सी. का सहारा

लेकर रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। हालाँकि, न्यायालय के पास सीमा आदि जैसे कानूनी मुद्दों पर एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की शक्ति है, लेकिन एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए था कि अपीलार्थी 3 और प्रत्यर्थी 2 के बीच अंतर-विवाद हैं।एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को ध्यान में रखे बिना, उच्च न्यायालय ने हमारे विचार में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर 2016 के सी. सी. संख्या 367 में आपराधिक शिकायत को रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि की।

सी.

डी.

ई.

13. रद्द करने की कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम इस मामले में सामग्री की ओर मुड़ें।शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को ध्यान से पढ़ने पर, जो बात स्पष्ट होती है, वह यह है कि एक संभावित दृष्टिकोण लिया जाता है कि निकाले गए चेक शेयरों की खरीद के लिए ऋण के निर्वहन में थे।किसी भी मामले में, जब कानूनी अनुमान होता है, तो खारिज करने वाले न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अभियुक्त तथ्यों पर विस्तृत जांच करे, बिना पहले निचली अदालत को पक्षों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अनुमति दिए।खारिज करने वाले न्यायालय को गेहूं को भूसे से अलग करने का बोझ खुद पर नहीं लेना चाहिए, जहां तथ्यों का विरोध किया जाता है।इसे अलग तरह से कहने के लिए, रद्द करने की कार्यवाही तथ्यात्मक विवाद के गुण-दोष में एक अभियान नहीं बनना चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता या बचाव पक्ष में से किसी को भी निर्णायक रूप से सही ठहराया जा सके।

एफ.

जी.

एच.

5 (2020) 3 एससीसी 794 ए

999

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (सरकार)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर.
[ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

14. न्यायमूर्ति एस. रत्नवेल पांडियन ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 6 में दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायालय के

अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने के मानदंडों को स्पष्ट किया है, और सुझाए गए एहतियाती सिद्धांत आज भी Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्ति के आह्वान के लिए अच्छे कानून के रूप में काम करते हैं।

बी.

“103. हम इस प्रभाव पर भी सावधानी बरतते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि न्यायालय को प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू करने में उचित नहीं ठहराया जाएगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।”

सी.

15. विवादित निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश ने राजीव थापर (ऊपर) में एक खंड पीठ के लिए न्यायमूर्ति J.S.Khehar की राय पर सही भरोसा विद्वान था, जो संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित प्रासंगिक मापदंडों को व्यक्त करता है जिन पर रद्द करने वाले न्यायालय द्वारा विचार विद्वान जाना है, प्रक्रिया जारी करने, समर्पण करने या आरोप तैयार करने के चरण में,

डी.

“28. उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक न्यायसंगत और सही विकल्प चुनना चाहिए।यह अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा मूल्यांकन करने का चरण नहीं है।इसी तरह, यह यह निर्धारित करने के लिए एक मंच नहीं है कि अभियुक्तों की ओर से उठाए गए बचाव कितने भारी हैं।भले ही अभियुक्त अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ संदेह या संदेह दिखाने में सफल हो, लेकिन मुकदमे से पहले अभियुक्त को आरोपमुक्त करने की अनुमति नहीं होगी।ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता को इसे साबित करने के लिए सबूत पेश करने की अनुमति दिए बिना, अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को अंतिम रूप दिया जाएगा।”

ई.

एफ.

जी.

16. ऊपर दिए गए कानून के प्रस्ताव से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय को रद्द करने की राहत देने में देरी करनी चाहिए।

एच.

पूर्व-विचारण स्तर पर शिकायत, जब तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में होता है, विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण, जैसा कि इस मामले में है।ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कोई भी सबूत पेश किए बिना तथ्यात्मक बचाव एक निर्विवाद गुणवत्ता का होना चाहिए, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके।17. मुकदमे से पहले के चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं।प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त किए बिना अंतिमता होगी और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से हटा दिया जाता है।यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में बिना शर्त लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा कानूनी धारणा के कारण, जब चेक और हस्ताक्षर अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं होते हैं, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के साक्ष्य को प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलेगा, ताकि अनुमान का खंडन किया जा सके।

बी.

सी.

डी.

18. इस प्रकार, समन आदेश के स्तर पर शिकायतकर्ता पर मुकदमा न करना, जब तथ्यात्मक विवाद का अभी तक प्रचार नहीं किया गया है और निचली विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, हमारी राय में न्यायसंगत नहीं होगा।प्रथम दृष्टया प्रभाव के आधार पर, निचली न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।इसलिए, जब कार्यवाही एक प्रारंभिक चरण में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है।

ई.

19. हमारे आकलन में, विवादित निर्णय सही कानूनी सिद्धांतों को लागू करके दिया जाता है और उच्च न्यायालय ने रद्द करने की कार्यवाही में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।यह कहने के बाद, अपने खिलाफ कानूनी धारणा का खंडन करने के लिए, अपीलार्थी को एक निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा एक खुले मुकदमे में अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने का एक उचित

अवसर भी मिलना चाहिए जो मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए सामग्री को निष्पक्ष रूप से तौल सकता है।इस समय, अमेरिकी लेखक और निवेश सलाहकार हैरी ब्राउन के शब्दों को याद करने से कोई भी लाभान्वित हो सकता है, जो इतने उपयुक्त हैं।

एफ.

जी.

उन्होंने कहा-"एक निष्पक्ष सुनवाई वह है जिसमें साक्ष्य के नियमों का सम्मान किया जाता है, आरोपी के पास सक्षम वकील होता है, और न्यायाधीश उचित न्यायालय कक्ष प्रक्रिया को लागू करता है-एक ऐसा मुकदमा जिसमें हर धारणा को समझा जा सकता है।

चुनौती दी।" हम अपीलार्थी के लिए कम और अधिक की उम्मीद नहीं करते हैं।

एच.

1001

रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (सरकार)। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर.
[ऋषिकेश रॉय, जे।]

ए.

20. हम अलग होने से पहले यह जोड़ सकते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणी केवल इस आदेश के सीमित उद्देश्य के लिए है और उन्हें योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए निचली न्यायालय के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए।तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.